678

500Rs.

रसीद दस्तावेज वगैरह 15

नम्बर 1679

दस्तावेज की तफसीलदारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बावत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
	3	4

तारीख ....

उप-पंजीयक

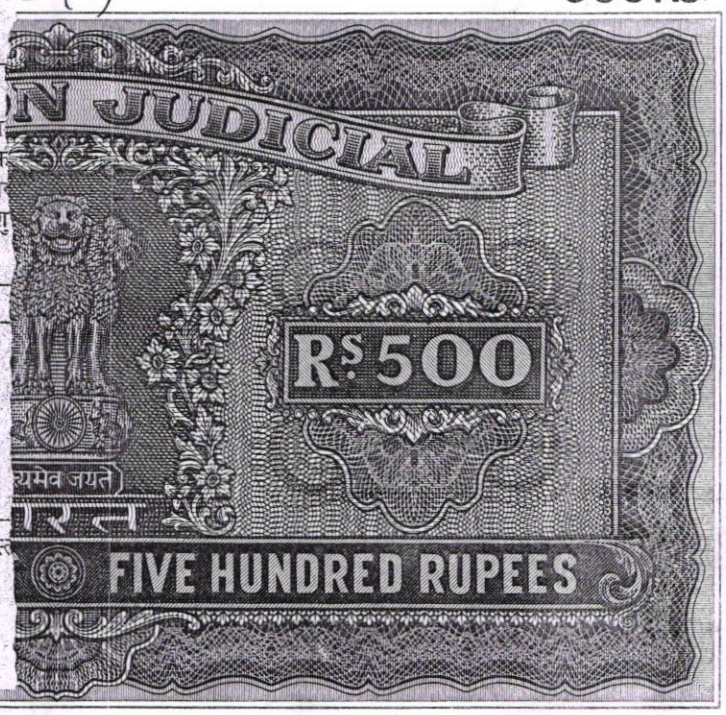

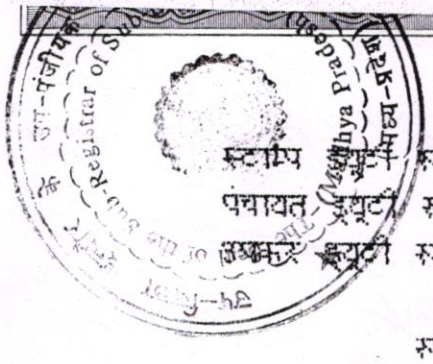

ON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

भारत

R$500

FIVE HUNDRED RUPEES

॥ श्री ॥

स्टाम्प ड्यूटी रुपये 565.00
पंचायत ड्यूटी रुपये 75.00
उपकर ड्यूटी रुपये 60.00

रुपये 700.00

बाजार व व्यवहार मूल्य रुपये 7,500/- मात्र

। विक्रय - पत्र ।

जनकल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
पता 91, इमली बाजार इन्दौर तर्फे अध्यक्ष
श्री रमेशचंद्र ऐरन पिता श्री किशनलालजी ऐरन
निवासी 91, इमली बाजार इन्दौर म.प्र.

"विक्रेता संस्था"

श्री मोहनलाल पिता श्री प्रहलाददास जी अग्रवाल
निवासी 7 नरसिंह बाजार इन्दौर म.प्र.

"क्रेता सदस्य"

विक्रेता संस्था - क्रेता सदस्य के हित में (इस संम्बोधन में विक्रेता संस्था क्रेता सदस्य स्वयं तथा उनके समस्त वारसान, हितग्राही, वैध प्रतिनिधि, निष्पादक, आसाईनिज, हित बध व्यक्ति आदि का समावेश है) के हित में निम्नानुसार निष्पादित कर देते है कि :-

-- 2 --

अध्यक्ष,
जन कल्याण गृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्या.,

रु. 100/2 = 7004

7174 ते 7176

11/7/96

जिला कोषालय, इन्दौर
10 JUL 1996
कोषाधिकारी

ललितकुमार बड़जात्या
'स्टाँम्प वेंडर'
जिला कोर्ट, इन्दौर (म. प्र.)
Phone Res. 492451, 493669

मोहनलाल

7004

जिन अधिनियम की अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क 525
नगर निगम आधा. पत्र के अ. त. मुद्रांक शुल्क
पंचायती अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क ....
उपकर अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क 70
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क
मार्किंग लवाजम 60

योग 7140

उप-पंजीयक इन्दौर (म.प्र.)

100Rs.

1. यह कि, विक्रेता संस्था मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनयम 1960 §क्रमांक 17 सन् 1961 § की धारा 10 के तहत पंजीकृत होकर इसका पंजीयन क्रमांक डी.आर/आय.डी.आर/262 दिनांक 23.8.1980 है. क्रेता सदस्य संस्था के नियमित सदस्य होकर इनका सदस्यता क्रमांक "5278 " है.उक्त संव्यवहार सस्थां के कारोबार से संबंधित है ।

2. यह कि, विक्रेता संस्था का प्रमुख उददेश्य अपने आवास हीन सदस्यों की आवास समस्या का निराकरण बिना लाभ हानि प्राप्त किये करना है. इस उददेश्य की पूर्ति के लिये विक्रेता संस्था ने ग्राम पिपल्या कुमार तहसील व जिला इन्दौर के पटवारी हल्का नं 17 के सर्वे क्रमांक क्रमश:102,103/1,159,163, 164,165/1,169से 174,176 से 180,183,192,193 195, 196, 197, 198/1, 198/2,198/3, 198/4, 198/5,200,201,203से 205,207 से211,214, 216, 217/1,218/1,218/2,219 से 223,224/1, 224/2, 225 से 233,234/2,235,236,237/1,237/2,238/1 से 238/4, 239/1, 239/2, 242,244,245,248/1, 248/2,248/3/1,252/2,277/3,284 है तथा इसका कुल क्षेत्रफल 228.89 एकड़ है। उक्त सर्वे क्रमांक म.प्र.शासन (राजस्व (शाखा-9) विभाग भोपाल के द्वारा अगल अलग प्रकरण क्रमांक 1बी/42/सात-9/13.7.1984,2ब/32/सात-9 दिनांक 16.2.1984) एफ-1-199/सात-9 दिनांक 30.9.88, एफ/28/33/सात-9 /दिनांक 16.2.1984,1ब/204/सात-9 दिनांक 1.1.1985

अध्यक्ष,
जन कल्याण गृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्या.,

2175
11/7/96 20000

ललितकुमार बड़जात्या
'स्टॉम्प वेंडर'
जिला कोर्ट, इन्दौर (म. प्र.)
Phone Res. 492451, 493669

यह दस्तावेज उप-पंजीयक जिला इन्दौर के उप-पंजीयक के कार्यालय में तारीख 12 JUL 1996 को अ. पु./म. प्र. .... बजे प्रस्तुत किया गयाहै।

उप-पंजीयक, इन्दौर (म.प्र.)

उन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। स्वीकार करते है कि तथाकथित .... विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूरे/आंशिक रु. .... प्राप्त हो गये तथा रु. .... मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम यह मैं .... बच गई है जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी

हस्ता दि. 12.7.1996

उप-पंजीयक

1ब/250/सात/84-9/दिनांक 1.1.1985 फ/01/132/7सात-9/16.9.1985,1/135/ सात-85(9) दिनांक 16.9.1985,1/133/सात-9 दिनांक 16.9.1985, 134/सात-9/85 दिनांक 16.9.85,252/दिनांक 1.1.85 203/दिनांक 1.1.1985 253 दिनांक 1.1.1985,27दिनांक 28.3.95,200 दि.10.12.1987,184 दि. 10.12.87 185 दिनांक 10.12.87,179 दिनांक 10.12.1987,175 दिनांक 10.12.1987 183 दिनांक 10.12.1987,232 दिनांक 13/2/1988,198 दिनांक 7.10.1987,60 दिनांक 29.6.1988,65 दिनांक 29.6.1988,प्रकरण क्र.58,64, 173,दिनांक 29.6.1988,221 दिनांक 25.8.88,क्र 59 दिनांक 29.6.88,225 दिनांक 25.8.88,61 दिनांक 29.6.1988,201 दि. 30.9.1988,204 दि.25.8.88 प्रकरण क्रमांक 218 दिनांक 25.8.88,176 दिनांक 30.9.88 200 दिनांक 30.9.88,205 दिनांक 1.1.1985, 202 दिनांक 1.1.1985 के द्वारा नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 की धारा 20 (1) की विमुक्ति प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है । जिस अनुसार उक्त भूमि में विक्रय पत्र का पंजीयन क्रमांक क्रमश: 1अ/863/1985,1अ/1314/1984,1अ/2216/1987, 1अ/6304/1988 ,1अ/5675/1988,1अ/2064/1988, 1अ/2063/1985,1अ/2215/1987, 1अ/2065/1985, 1अ/5330/1986, 1अ/5333/1986, 1अ/5334/ 1अ/ 5331/1986,1अ/5332/1986, 1अ/1क/1987,1अ/2क/ 1987,

अध्यक्ष,
जन कल्याण गृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्या.,

7178
11/7/96 [illegible]

ललितकुमार बड़जात्या।
'स्टाम्प वेंडर'
जिला कोर्ट, इन्दौर (म. प्र.)
Phone Res. 492451, 493669

अध्यक्ष,
जन कल्याण गृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्या.,

उपरोक्त निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
.... के अंगूठा
का निशान मेरे समक्ष ता...... ......
199...... को लिया गया।

12 JUL 1996

उप-पंजीयक इन्दौर (म.प्र.)

1अ/4क/1987, 1अ/3क/1987,1अ/7643/1988, 1अ/7644/1988, 1अ/164क/ 1988,1अ/163क/1988, 1अ/162क/1988,1अ/165/1988,1अ/99क/1988,1अ/166/1988,1अ/911/1988,1अ/912/1988,1अ/1078/1988,1अ/1073/1988,1अ/1076/1988,1अ/3546/1988, 1अ/3544/1988,1अ/3547/1988,1अ/3545/1988,1अ/1467/1988,1अ/1466/1988, 1अ/3543/1988,1अ/2376/1994,1अ/245/1994,1अ/254/1995 एवं 1अ/1082/1995 से किया होकर इस भूमि के तहसील अभिलेख में विक्रेता संस्था का नाम भूस्वामी हैसियत से दर्ज है। इस प्रकार उक्त समस्त भूमि संस्था के स्वामित्व व आधिपत्य की है।

3. यह कि, संस्था ने पूर्व में मध्यप्रदेश भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 की धारा 24(1) के अंतर्गत लायसंस प्राप्त कर लिया है जिसका क्रमांक 58 दिनांक 30.4.1984 होकर इसमें धारा 20 की छुट के आधार पर कुछ सर्वे क्रमांक जोड़ना शेष है। इसी प्रकार उक्त भूमि कृषि भिन्न आशय के उपयोग हेतु भी भूमि का अन्य उपयोग (आवास) श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय इन्दौर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 47/अ-2/88-89 के द्वारा 63.44 एकड़ भूमि के लिये एवं प्रकरण क्रमांक 250/अ-2/88-89 के द्वारा 44.62 एकड़ भूमि के लिये इस प्रकार कुल 108.06 एकड़ भूमि के लिये पारित आदेश दिनांक 24.10.1988 के द्वारा स्वीकृत करवाया है इसमें कुछ भूमि के लिये यह प्रक्रिया विचाराधीन है। उक्त भूमि का अभिन्यास भी नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग इन्दौर के द्वारा विभिन्न दिनांको में स्वीकृत करवा लिये है। संस्था द्वारा धारा 10(4) के अंतर्गत विकास हेतु कुछ भूमि के लिये अनुमति प्राप्त कर लिया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही को पूर्ण कर उक्त संपत्ति का नाम **"महालक्ष्मी नगर"** रखा गया है।

-- 5 --

अध्यक्ष,
जन कल्याण गृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्या.,

4. यह कि, संस्था द्वारा क्रेता सदस्य को एक भूखण्ड रुपये 7,500.00 अक्षरी रुपये सात हजार पांच सौ मात्र में अंतरित किया है, यह राशि विक्रेता संस्था ने विभिन्न रीति राशि एवं अलग अलग दिनांकों में पूर्व में प्राप्त कर ली है तथा शेष कोई राशि नहीं है। विक्रित संपत्ति का रिक्त् आधिपत्य मौके पर ले जाकर दे दिया है। सदस्य के भूखण्ड क्रमांक, क्षैत्रफल व भूखण्ड के क्षैत्रफल में पूर्ण संतुष्टि है। बिक्रीत भूखण्ड का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

बिक्रीत भूखण्ड का विस्तृत विवरण

महालक्ष्मीनगर (ग्राम पिपल्याकुमार) इन्दौर का भूखण्ड क्रमांक 377/आर है। इस भूखण्ड की लंबाई 50 फीट तथा चौड़ाई 30 फीट होकर इसका योग क्षैत्रफल 1500 वर्गफीट है। इस भूखण्ड की तल भूमि निजी स्वामित्व एवं आवासीय उद्देश्य की होकर इसकी चतु:सीमा निम्नानुसार है:-

पूर्व	कालोनी की सड़क
पश्चिम	भूखण्ड क्रमांक 356/आर
उत्तर	भूखण्ड क्रमांक 378/आर
दक्षिण	भूखण्ड क्रमांक 376/आर

अध्यक्ष,
जन कल्याण गृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्या.,

5. यह कि, संस्था ने अपनी उपविधियाँ §बायलाज एवं पारित प्रस्तावों के अनुसार कालोनी बनाना तय किया है इस कालोनी में सुविधा को बनाये रखने के लिये संस्था को समय समय पर जो व्यय करना पड़ेगा उसके लिये संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क का अग्रिम भुगतान प्रतिवर्ष सदस्य को करना होगा यदि सदस्य ने भुगतान मे त्रुटि की तो संस्था को यह राशि सदस्य से संस्था द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार वसूल करने का अधिकार रहेगा । संस्था की कार्यकारिणी का निर्णय इस विषय में अंतिम होगा संस्था को भुगतान में त्रुटि करने वाले सदस्यों को इन सुविधाओं से वंचित कर सकने का अधिकार भी संस्था को रहेगा ऐसी स्थिति में सदस्य किसी भी प्रकार का उजर या आनाकानी करेगा नहीं और इस लेख को इस शर्त की स्वीकृति माना जावेगा । इसी प्रकार कालोनी के विकास के संदर्भ में विक्रेता संस्था द्वारा जो भी शर्तें व राशि निर्धारित की जावेगी उसके पालन हेतु क्रेता सदस्य बाध्य रहेगें। यदि क्रेता सदस्य के द्वारा यह राशि संस्था के द्वारा मागने पर अदा नहीं की गई तो संस्था को यह विक्रय लेख निरस्त कराने का पूर्ण अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में क्रेता सदस्य को किसी भी प्रकार की आपत्ति या उजर करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा ।

5ए. यह कि, विक्रेता संस्था ने यह भूखण्ड पूर्व में अपने अन्य सदस्य को विक्रय रीति से अंतरित किया था। किन्तु किन्हीं कारणों से उक्त् सदस्य द्वारा भूखण्ड का समर्पण संस्था के हित में कर दिया गया है। जिस अनुसार इस लेख के द्वारा अंतरित किया जा रहा भूखण्ड वर्तमान में विक्रेता संस्था के एकमेव स्वामित्व का होकर इसे इस क्रेता सदस्य को विक्रय करने का संस्था को पूर्ण अधिकार है।

6. यह कि, सदस्य उपरोक्त भूखण्ड पर संस्था द्वारा स्वीकृत ले आउट के अनुसार एवं नगर पालिका निगम पंचायत या अन्य किसी भी सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालयों में प्रचलित नियमानुसार एवं विधान अनुसार निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ही भवन निर्माण कर सकेंगें। क्रेता सदस्य उक्त भूखण्ड पर कब्जा प्राप्ती दिनांक से तीन वर्ष में भवन निर्माण करेंगें। यदि उक्त अवधि में निर्माण कार्य नहीं किया जाता है तो संस्था को यह अधिकार होगा कि सदर भूखण्ड इस दस्तावेज में दर्शायी गई कीमत पर वापस प्राप्त कर लेवें।

अध्यक्ष,
जन कल्याण गृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्या.

7. यह कि, सदस्य पर सदैव यह प्रतिबंध रहेगा कि वह संस्था द्वारा समय समय पर पारित प्रस्तावों ठहरावों का पूर्ण रूप से पालन करे एवं संस्था पर बंधनकारक समस्त शर्तों का एक जिम्मेदार सदस्य नाते हमेशा पालन करे । यदि सदस्य ने ऐसा करने मे त्रुटि की तो संस्था को अधिकार होगा कि वह सदस्य की संस्था से सदस्यता समाप्त कर सकेगी । उक्त भूखण्ड को इस लेख में दर्शाई गई कीमत पर ही वापिस संस्था क्रय कर सकेगी ।

8. यह कि, प्लाट की लंबाई चौड़ाई व क्षेत्रफल जो कि इस लेख मे उल्लेखित है जिसमें यदि किसी कारण से कोई भी परिवर्तन या कमी बेशी या अंतर हुवा तो उसका हिसाब करने में कोई आपत्ति अथवा इस बाबद को उजर करने का अधिकार सदस्य को नहीं रहेगा ।

9. यह कि, संस्था द्वारा उपरोक्त कालोनी का जो जो भी खर्च व विविध खर्च आदि तय होगा वह सदस्य द्वारा अपने भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात के अनुसार सोसायटी को देय होगा, खर्च की राशि, विविध खर्च विकास कार्य एवं सदस्य द्वारा देय रकम के संबंध में संस्था की कार्यकारिणी का निर्णय अंतिम होगा सदस्य द्वारा इस भुगतान में त्रुटि करने पर संस्था उक्त प्लाट वापस क्रय करने की अधिकारी रहेगी ।

10. यह कि, विक्रीत भूखण्ड के लिये समस्त प्रकार के शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय टेक्सेस व अन्य दायित्व आदि जो भी देय होंगे वे विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक से क्रेतापक्ष व्यक्तिगत रूप से अदा करने के लिये बाध्य रहेंगे तथा उक्त दायित्वों का निर्वाह आप द्वितीयपक्ष द्वारा किया जावेगा । आप क्रेता सदस्य ने उनके भुगतान में त्रुटि की एवं कोई भी राशि संस्था के हित में भुगतान करना आवश्यक हुई तो अथवा संस्था के हित मे भुगतान करना उचित मानकर यदि संस्था ने ऐसा कोई भुगतान अथवा कोई खर्च किया तो सदस्य से उसका अंश रूपया वसूल कर लेने का अधिकार संस्था को सदैव रहेगा ।

-- 8 --

अध्यक्ष,
जन कल्याण गृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्या.,

11. यह कि, सदस्य ने संस्था के सभी प्रचलित नियम व उपनियम एवं संस्था को प्राप्त समस्त प्रकार के आदेशों, अनुमतियों मान्यताओ को भली भाँति से समझ लिया हैं और वे सदस्य को मान्य हैं तथा उसका सदैव पालन सदस्य करता रहेगा। भविष्य में भी संस्था द्वारा निर्मित अथवा निरूपित नियमो एवं व्यवस्थाओ का पालन करेगा ।

12. यह कि, सदस्य सदर विक्रीत भूखण्ड पर सभी शासकीय अशासकीय, या अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अभिलेख में अपना नाम बतौर स्वामी एवं आधिपत्यधारी होने के नाते दर्ज करवा सकेगें इसमें होने वाले समस्त व्यय सदस्य को व्यय करना होगें । शासन द्वारा प्रदत्त आदेशों के अन्तर्गत लगाई गई शर्तों के अनुसार संस्था ने अपने सदस्यों से शपथ – पत्र प्राप्त कर श्रीमान् सक्षम प्राधकारी महोदय नगर भूमि सीमा इन्दौर के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये हैं ।

13. यह कि, संस्था के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा संस्था के अध्यक्ष को इस लेख का निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाने का अधिकार दिया गया हैं एवं इसके लिये अधिकृत किया गया है ।

14. यह कि, सदर प्लाट पर किसी का भी दान, गिरवी, बिक्री बक्षिस या अन्य कोई भार हित या स्वत्व नहीं हैं । उक्त प्लाट संस्था के द्वारा सदस्य को भूमी स्वामी हक्क सहित अंतरित किया है ।

-- 9 --

अध्यक्ष,
जन कल्याण गृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्या.,

15. यह कि सदर कालोनी में विद्युत लाईन ट्रांसफार्मर आदि पर मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का प्राकलन (इस्टीमेट) जो भी आवेगा वह देय अनुपातिक राशि क्रेता सदस्य को एक माह के अंदर संस्था में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी । क्रेता सदस्य को बिजली की आपूर्ति की देय राशि व विकास खर्च का तथा विविध खर्च की देय राशि संस्था में जमा कराने पर ही संस्था द्वारा भूखण्ड का कब्जा क्रेता को दिया जावेगा अगर उपरोक्त देय राशि क्रेता सदस्य द्वारा समय समय पर जमा नहीं कराने पर उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज भी अदा करना होगा तथा राशि न चुकाने का सदर भूखण्ड पर कब्जा विक्रेता संस्था का बना रहेगा तथा उसपर संस्था का प्रथम चार्ज बना रहेगा ।

16. यह कि क्रेता सदस्य सदर भूखण्ड अलावा भवन का विक्रय दान लीज या अन्य किसी भी रीति से अन्तरण करने से पूर्व विक्रेता संस्था से लिखित में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी तथा क्रेता सदस्य को विक्रय किये जा रहे भूखण्ड के अन्तरण पर अन्तरण गृहिता पर संस्था के समस्त नियम व शर्तें समान रूप से लागु होकर अन्तरण गृहिता को उक्त शर्तें मान्य एवं बन्धनकारक होगी तथा वे उसका पालन करने के लिये वचनबद्ध रहेंगें तथा ऐसे अन्तरण के संस्था में देय नामान्तरण शुल्क (उक्त शुल्क संस्था की कार्यकारणी द्वारा निर्धारित किया जावेगा) संस्था के कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा । यदि सदस्य या उससे अन्तरण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा ऐसी राशि संस्था को अदा नहीं की जाती है तो संस्था द्वारा ऐसे भवन स्वामी को दी जाने वाली सुविधाओ से वंचित किया जा सकेगा तथा संस्था ऐसी बकाया राशि कानूनी रूप से वसूल करने की अधिकारी होगी । क्रेता सदस्य को अपने भवन के सामने दो छायादार अथवा फलदार वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा ।

-- 10 --

अध्यक्ष
जन कल्याण गृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्या.,

17. यह कि इस विक्रय लेख द्वारा क्रेता सदस्य को बिक्रीत भूखण्ड का स्वामी घोषित किया गया है । क्रेता मकान बनाने व्यवसाय हेतु आवश्यकत ऋण लेने के लिये भूखण्ड को संस्था की सहमति से गिरवी रख सकता है ।

18. यह कि इस विक्रय लेख में हाथ से काटें एवं जोड़े गये अशों को मैं हस्ताक्षर कर्ता क्रमांक एक से लगाकर .... तक प्रमाणित करता हूं ।

उपरोक्तानुसार भूखण्ड का यह विक्रय लेख सदस्य के हित में निष्पादित किया गया होकर उसकी सहमति से संस्था की सील सहित संस्था के अध्यक्ष ने नीचे दर्शाये साक्षियों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिया सो सही । आवश्यकता पर काम आवे ।

इति, इन्दौर
दिनांक : 12.1.96

सही – विक्रेता संस्था

अध्यक्ष
जनकल्याण गृह निर्माण सहकारी
संस्था मर्यादित इन्दौर (म.प्र.)

साक्षीगण: –

1.
नाम संतोष कुमार पिता श्री परसराम जी शिंपी
पता 69 इमली बाजार इन्दौर म.प्र.

2.
नाम परशुराम पिता श्री जयरामजी बंसल
पता 9 अम्बबाग कालोनी इन्दौर म.प्र.

संस्था द्वारा प्रदत्त माहिती अनुसार यह विक्रय लेख मेरे द्वारा प्रारुपित किया गया ।

एडवोकेट

12 JUL 1996

आज तारीख.............................माह...............सन्

1995 का पुस्तक क्रमांक.............................

ग्रंथ......12525......के.........10.........पृष्ठ

.............................क्रमांक.........179

.........20......

पर पंजीयन किया गया।

उप-पंजीयक, इन्दौर (म.प्र.)

उप-जिला इन्दौर के उप-पंजीयक की मुद्रा
Seal of the Sub-Registrar of Sub-Dist Indore
(Madhya Pradesh)
(मध्य-प्रदेश)

पंजीयन शुल्क रू......80......पैसे..........

नस्ता शुल्क रू.............................पैसे..........

पृष्ठांकन शुल्क रू.......8.......पैसे..........

तुलना शुल्क रू.............................पैसे..........

योग रू.......85.......पैसे.......... पच्चासी रुपये

उप-पंजीयक, इन्दौर (म.प्र.)

उप-जिला इन्दौर
The Seal of the Sub-
(Madhya Prade
(मध्य-प्रदेश)

कब्जा लेख

यह लेख लिख देने वाले अध्यक्ष, **जन कल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.**, (पंजीयन क्रमांक डी. आर. / आय. डी. आर. /२६२ दिनांक २३–८–८० है) ९१, इमली बाजार, इन्दौर निम्नानुसार लिख देते हैं कि—

यह कि संस्था द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक । अ/ 1679 दिनांक 12/7/96 के द्वारा भूखण्ड क्रमांक 377/आर **महालक्ष्मी कॉलोनी,** इन्दौर का श्री मोहनलाल पिता प्रहलाददास अग्रवाल को विक्रय रीति के अंतरित किया गया है । उक्त भूखण्ड ग्राम पिपल्या कुमार जिला इन्दौर के सर्वे क्र......................... की भूमि पर स्थित हैं ।

यह कि उक्त भूखण्ड की नपती करवा कर मौके पर उक्त क्रेता श्री मोहनलाल पिता प्रहलाददास अग्रवाल को रिक्त आधिपत्य दे दिया गया है । प्लाट पेटे अब कोई राशि शेष नहीं है । उक्त प्लाट अन्य किसी व्यक्ति, संस्था को विक्रय, गिरवी या किसी प्रकार का भार युक्त नहीं है ।

यह कि उक्त प्लाट पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर निपटाने की जवाबदारी संस्था की होगी । क्रेता इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं उठायेगा ।

यह कि उक्त भूखण्ड के व्यवहार के लिये संस्था के कार्यालय में भूमि का मूल्य पूर्व में जमा हो चुका हैं ।

उक्त प्लाट के सम्बन्ध में लगने वाले समस्त शासकीय अशासकीय संस्था के टेक्स, चार्जेस, शुल्क, फीस आदि को चुकाने की जवाबदारी आज दिनांक से आगे प्लाट मेम्बर की रहेगी ।

दिनांक 17/7/96

इन्दौर

हस्ताक्षर निष्पादक,

अध्यक्ष,
जन कल्याण गृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्या.,

साक्षी

१. संतोषकुमार शर्मा
75, इमली बाजार इंदौर

२. ....

(श्री मोहनलाल अग्रवाल)

ह. प्लाट मेम्बर

हमें कब्जा प्राप्त हुआ ।